



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

क्र/7958/गोप./वा.प्रा.परीक्षा/वर्ष 2019 (सत्र 2018.19) रायपुर, दिनांक: 22/01/2019

### // अधिसूचना //

वार्षिक परीक्षा 2019 के प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 01.02.2019 से 28.02.2019 तक कराया जाना है। जिससे सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विभिन्न विषयों के प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न हो सके एवं परीक्षाफल घोषित करने में विलम्ब न हो। विशेष परिस्थिति में ही मुख्य परीक्षा प्रारंभ होने के 07 दिवस पूर्व तक मान्य होगा।

तदनुसार उक्त प्रायोगिक परीक्षाओं के निर्विघ्न सम्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है :-

- 01 स्वाध्यायी छात्र प्रायोगिक परीक्षाओं में उन्हीं महाविद्यालयों में सम्मिलित करायें जहां उनके द्वारा पंजीयन कराया गया है। उक्त प्रक्रिया वार्षिक परीक्षा 2013 के लिए प्रेषित अधिसूचना की कंडिका 02 में विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक - 06, भाग - 04 की कंडिका 13 में उपकंडिका 03 में उल्लेखितानुसार निर्देशित होगा :- "No non - Collegiate candidate shall be admitted an examination of the University unless such candidate if he has offered a subject for such examination for which a course of practical work is prescribed, has completed such work in a University Teaching Department or a school of Studies or a College and submits ot the Registrar before the last date notified by the University a certificate of such completion from the Head of the Teaching Department or school of Studies or the Principal of the College. All Such candidates shall contact the Head of Teaching Department's or school of Studies or the Principal of Colleges immediately after the declaration of results of supplementary examination and shall got themselves registered in the Colleges/UTD or School of Studies concerned for completion of their Practicals."
- 02 आपके महाविद्यालय द्वारा सही समय में विषयानुरूप छात्रों की संख्या प्राप्त नहीं होने के कारण संख्या के अनुपात में बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अतः छात्र संख्या के आधार पर एकाधिक बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिसूचना दिनांक से एक सप्ताह के भीतर विषयवार छात्र संख्या का विवरण भेजना चाहें।
- 03 विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की परीक्षा लेने में असमर्थता संबंधी पत्र प्राप्त होने पर ही संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अपने निकटस्थ महाविद्यालय के संबंधित विषय के वरिष्ठ प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति देने पर ही बाह्य परीक्षकों के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे। यह व्यवस्था केवल स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए ही होगी।

- 04 प्रायः यह देखने में आया है, कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की लिखित असमर्थता प्राप्त किए बिना ही अन्य बाह्य परीक्षकों से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है निर्देशित किया जाता है, कि बाह्य परीक्षकों की लिखित असहमति पत्र के अभाव में अन्य नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी तथा इसका पालन नहीं होने पर ली गई प्रायोगिक परीक्षाएं मान्य नहीं होगी।
- 05 ऐसे शिक्षकों एवं अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाह्य परीक्षकों के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जो सह-परीक्षकों की सूची में सूचीबद्ध न हो।
- 06 प्रायः यह देखने में आया है कि कई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं ऐसा प्रायः छात्रों को सूचना प्राप्त नहीं होने पर या उनके कहीं अन्यत्र होने की स्थिति में या अस्वस्थ होने पर संभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित छात्र अन्य महाविद्यालयों जहां वांछित विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं सम्पन्न नहीं हुई होती हैं, प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोगिक परीक्षा तिथि निर्धारण की सूचना छात्रों को यथेष्ट समय पर प्राप्त हो सके। इस हेतु प्रायोगिक परीक्षा की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों एवं समय सीमा में सूचना पटल पर चस्पा करें, ताकि अस्वस्थ तथा अन्यत्र रहने पर भी छात्र यथा समय प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। सभी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा एक ही बार में सम्पन्न कराया जाना श्रेयस्कर होगा।
- 07 प्रायोगिक परीक्षा की तिथि का निर्धारण बाह्य परीक्षक की सहमति से एवं पूर्वमति लेकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्व में अधिकृत बाह्य परीक्षकों को कतिपय महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा तिथि का निर्धारण कर सूचित किया जाता रहा है, जो व्यवस्था के विपरीत है।
- 08 मुख्य प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात् प्राप्तांक के बाद किसी छात्र की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 09 प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को बिना अनुक्रमांक एवं नामांकन क्रमांक के परीक्षा में न बैठायें। पर्ण/प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले की भरी हुई जानकारी परीक्षा योजनानुसार सही है। आध्यादेश में निहित अंक योजनानुसार पर्ण/प्रतिपर्ण लिफाफा तैयार करने के पश्चात् उपस्थिति पत्रक एवं अनुपस्थिति पत्रक की सूची विश्वविद्यालय भेजे। अनुपस्थित छात्र/छात्राओं की स्पष्ट जानकारी पर्ण/प्रतिपर्ण एवं अनुपस्थिति पत्रक में दर्ज करें, जिसकी सम्पूर्ण

जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। तत्पश्चात् उपस्थिति पत्रक प्राप्तांकों के लिफाफे में भरकर भेजने की व्यवस्था करें तथा जो छात्र अनुपस्थित हैं उन्हें अनुपस्थित उपस्थिति पत्रक तथा प्राप्तांक में भी दर्शाये। (पर्ण/प्रतिपर्ण में अंकों को भरने के पश्चात् सेलोटैप से चस्पा करें)।

यदि कोई छात्र दूसरे महाविद्यालय से प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होता है तो महाविद्यालय का कर्तव्य होगा कि पर्ण-प्रतिपर्ण में इसका स्पष्ट उल्लेख हो कि निम्नलिखित छात्र किस महाविद्यालय का है।

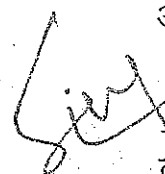
- 10 प्रायोगिक परीक्षाओं के सम्पन्न होते ही उनकी विवरणिका जिसमें प्रायोगिक परीक्षा तिथि परीक्षा का नाम, बाह्य परीक्षक का नाम, आंतरिक परीक्षक का नाम, छात्र संख्या की यथोचित जानकारी प्राप्तांकों के लिफाफे भेजने के समय ही प्रेषित करें ताकि परीक्षकों के यात्रा देयकों/पारिश्रमिक देयकों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।
- 11 प्रायोगिक परीक्षाएं होने के 02 दिवस के अंदर उनके प्राप्तांक जिसमें पर्ण/प्रतिपर्ण में छात्र का नाम, अनुक्रमांक एवं नामांकन क्रमांक अंकित हो तथा प्रायोगिक परीक्षा विवरणिका जिसमें छात्रों की उपस्थिति/अनुपस्थिति संख्या आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक का नाम प्रायोगिक परीक्षा आयोजन तिथि अंकित हो विश्वविद्यालय में जमा करें। उपर्युक्त जानकारी के अभाव में पर्ण/प्रतिपर्ण के लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 12 अधिकृत बाह्य परीक्षक यदि प्रायोगिक परीक्षा लेने में किसी कारणवश असमर्थ हो तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को लिखित रूप से असमर्थता पत्र प्रेषित करे अथवा दूरभाष से जानकारी दें। अनुत्तरित रहना परीक्षा कार्य के प्रति लापरवाही माना जायेगा।

इस हेतु प्रायोगिक परीक्षाओं के सुव्यवस्थित सम्पादन के लिए प्राचार्यों से निवेदन है कि अधिसूचना के समस्त तथ्यों को स्पष्ट जानकारी अपने महाविद्यालय के शिक्षकों को दें। जिससे वे नियमानुसार परीक्षा संचालन कर सकें।

टीप :- 1. कोई भी आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक बिना, अनुक्रमांक के न भेजे।

2. आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंक दो प्रति (पर्ण/प्रतिपर्ण) में हो एवं लिफाफे के ऊपर कक्षा, विषय, उपस्थित छात्र संख्या आदि अनिवार्य रूप से अंकित हो।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ.क्र./7959/गोप./वा.प्रा.परीक्षा/2019

रायपुर, दिनांक: 22/01/2019

प्रतिलिप :-

1. राज्यपाल के सचिव, छ.ग. शासन, रायपुर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहा., पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
3. विश्वविद्यालय के समस्त संबद्ध महा., के प्राचार्यों को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा के सम्पादनार्थ अपने अधिनस्थ विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा), पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र (गोप.), पं.र.शु.वि.वि., रायपुर।
7. सम्पादक, समस्त, स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों की अग्रेषित इस आशय के साथ कि इस अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करेंगे।

सहा. कुलसचिव (गोप.)